न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 244/2014

वादी :-

1. कालूराम दत्तक पु. ढगला
जाति-कुम्हार,निवासी-प्रतापपुरा,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मंगाराम पुत्र चौथा
जाति-कुम्हार, निवासी-प्रतापपुरा
2. गजराई पत्नि गोपीराम
3. मीरादेवी पत्नि बाबूलाल
जातियान-कुमावत, निवासी-प्रतापपुरा
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
4. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 08/12/2014

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णयः- दिनॉकः 24/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बावत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-ग्यास, पटवार हल्का-बलाडा, तहसील-जैतारण में वादी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि मे वादी का 1/3वां हिस्सा आता हैं तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। वर्तमान जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में खातेदार शंकर ढगला मंगा पि0 चौथा कुम्हार साकिन प्रतापपुरा इन्द्राज हैं तथा शंकर के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान जडावली सीयाराम लक्ष्मण सोहनी के नाम म्यूटेशन इन्द्राज हुआ था तथा बाद में इन सभी मिलकर अपनी हिस्से की जमीन प्रतिवादी सं. 2 व 3 को वेचान कर दी। उक्त जमीन के खातेदार ढगला व उसकी पत्नी सायरीदेवी ने अपने जीवनकाल में जायन्दा पुत्र / पुत्री पैदा नहीं होने पर प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र वादी कालूराम को उसके 7 साल की आयु की आयु में उसके माता पिता के सहमति से गोद लिया। हिन्दू रिति-रिवाज से व सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार ढगला ने वादी को गोद लेने हेतु पागडी बधवाने की रश्म अदा करवायी तथा समाज के लोगों को भोजन करवाया। ढगला की पत्नी सायरीदेवी आज से करीब 20 साल पहले फोत हो चुकी हैं। ढगला की सेवा चाकरी सुश्रूषा वादी द्वारा बतौर पुत्र होने के नाते की तथा वादी की सेवा से खुश होकर ढगला ने अपनी वृद्धावस्था में एक गोदनामा दिनांक 15.4.2008 को 100 रुपये के स्टाम्प पर वादी के पक्ष में लिखवाकर नॉटरी अधिवक्ता से तस्दीक करवाया। उक्त गोदनामा में ढगला ने यह घोषणा की हैं कि मेरे स्वर्गवास के बाद मेरी तमाम आराजीयात मकान जमीन जायदाद घरेलू सामान का एक मात्र उत्तराधिकारी व वारिस आप कालूराम वादी ही होगे। इस प्रकार बाद में ढगला भी दिनांक 30/05/2010 का फौत हो गया। ढगला के फौत होने पर सामाजिक रिति रिवाज से उसकी अंत्येष्ठि अस्थियों को गंगाजल में प्रवाहित की तथा ढगला के किया कर्म बारवां वादी कालूराम द्वारा किये गय। तमाम खर्चा वादी द्वारा वहन किया गया। ढगला का मृत्यु प्रमाण पत्र व ढगला द्वारा निष्पादित गोदनामा की प्रमाणित प्रति वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं। वादी ढगला

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के जीवनकाल से ही उसकी लगाम चल व अचल सम्पति का उपयोग / उपभोग शांतिपूर्वक तरीके से करता आ रहा हैं। अब वादी द्वारा ढगला की खातेदारी में अपने नाम की एन्ट्री करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 10/09/2014 को गया। तब उनके द्वारा ढगला के विधिक वारिस होने का प्रमाण मांगा। तब वादी द्वारा अपने पक्ष में ढगला द्वारा निष्पादित गोदनामा दिनांक 05/08/2008 को पटवारी हल्का के समक्ष पेश किया। पटवारी हल्का ने उक्त गोदनामा को देखकर कहा कि गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं हैं तथा पटवारी हल्का ने वादी के पक्ष में म्यूटेशन भरने से स्पष्ट मना कर दिया तथा श्रीमान के न्यायालय में वाद-पत्र पेश करने की बात कही। इसलिए श्रीमान के समक्ष वादी द्वारा यह घोषणा का वाद-पत्र पेश किया हैं। इस प्रकार वादी का राजस्व रेकर्ड में ढगला के स्थान पर नाम इन्द्राज नहीं होता हैं तो वादी को अपने जायज साम्पैतिक हक हकूकों व अधिकारों से महरुम होना पडेगा तथा वादी को असीम हानि होगी, जिसका मूल्यांकन रुपयों में नही आंका जायेगा। इसलिए वादी का राजस्व रेकर्ड में ढगला के स्थान पर नामान्तरकरण इन्द्राज कर वादी को उक्त जमीन के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश फरमावें। नकल प्रमाणित जमाबंदी 2067 से 2070 वादपत्र के साथ संलग्न हैं। बिनाय वाद वादी द्वारा ढगला की खातेदारी में अपने नाम की एन्ट्री करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 10/09/2014 को गया तब उनके द्वारा ढगला के विधिक वारिस होने का प्रमाण मांगा तब वादी द्वारा अपने पक्ष में ढगला द्वारा निष्पादित गोदनामा दिनांक 05/04/2008 को पटवारी हल्का के समक्ष पेश किया। पटवारी हल्का ने उक्त गोदनामा को देखकर कहा कि गोदनामा रजिस्टर्ड नहीं हैं तथा पटवारी हल्का ने वादी के पक्ष में म्यूटेशन भरने से स्पष्ट मना कर देने पर बमुकाम प्रतापपुरा, तहसील-जैतारण में वाद पैदा हुआ हैं, जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं तथा अन्दर म्याद वाद-पत्र पेश किया हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जबाबदावा पेश किया हैं कि मंगा एवं ढगला की भूमि में कोई लेना-देना नहीं हैं। प्रति0 सं0 1 मंगाराम ने जबाबदावा पेश किया कि ढगलाराम के स्थान पर वादी का नाम दर्ज कर दिया जावें, तो कोई एतराज नहीं हैं। जबाबदावा अनुसार वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-ग्यास, पटवार हल्का-बलाडा, तहसील-जैतारण में वादी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा की कृषि भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। ढगलाराम का नाम हटाया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बलाड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. कालूराम दत्तक पु. ढगला जाति-कुम्हार,निवासी-प्रतापपुरा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		1. मंगाराम पुत्र चौथा जाति-कुम्हार, निवासी-प्रतापपुरा 2. गजराई पत्नि गोपीराम 3. मीरादेवी पत्नि बाबूलाल जातियान-कुमावत, निवासी-प्रतापपुरा तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) 4. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

मु0न0:रा0वा0 स0:244/2014

राजस्व वाद घोषणा अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-ग्यास, पटवार हल्का-बलाडा, तहसील-जैतारण में वादी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा की कृषि भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। ढगलाराम का नाम हटाया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 24/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	-00	स्टाम्प वकालतनामा	01	-00
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	-00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	06	-00	मिजानः-	01	-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner